

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

आज अदालत उपरखण्ड हाथियावाडी मुकाम डी उवागा
 कमला देवी शर्मा जीवाराय व अन्य के पेश बनाम श्रीगणेश उवा डिमानराय पत्र
 किस्त मुकदमा निम्नी-डडी लहरीय डी उवा सं 2015/54 सन् डी निम्नी-डडी

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये

12/5/15

शर्माजीवण कमला देवी व अन्य नं पर शर्माजीवण वराखिलाक अशर्माजीवण जीवाराय व अन्य के पेश दिना । शर्मा पत्र दर्त रकिसर हो।
 स्थान पर रक वकील शर्मा सुनगर व रेकर्ड का अपलोडन दिना कपा रक पर मन्त कर्त व रेकर्ड के अपलोडनोपरात हुक्म शर्माजी के हाथपत्र पर विरवास करत डर आराजी रक रक्सर नंबर 438/148 , 439/157, 440/225
 पुत्र रक 32-05 कीषा करतड मोजा निम्नी-डडी लहरीय डी उवा का बेपान आर शरा हस्ताक्षर नही कर्त तथा रक रक रेकर्ड की यथास्थिति बगर रवर्त ककर अंतरिम अरुपाजी निर्धारण कराखिलाक अशर्माजीवण आराजी सुनगर निम्नी-डडी पत्र की पत्र है।
 अशर्माजीवण पत्र डर रक रक रक रक पत्रवादी दिनांक 15.6.2015 के पेश हो।

अदालत अधिकारी
 हाथियावाडी

15/6/15

पत्रवादी पेश हुई । श्रीमान् P.O. का अहकाम अब करत । दोरे का पत्र है । निम्न दिनांक 11/6/15 को पत्र हो ।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

21.4.26

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थीगण उपा-
वकील पार्थीगण को कपाथीगण की तामिली
रिपोर्ट पेश करते हेतु प्रयाप्त अवसर दिने
जाने के बावजूद तामिली रिपोर्ट पेश नहीं
करने पर पत्रावली 0-9 R-5 एफ के
तहत खारिज की जाती है। पत्रावली
फैसल सुधार होकर नम्बर से कप है।

Wras

सप्लेण्ड अधिकारी
डी.व.न.